न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 47 / 2014

1. श्रीमति जमनी पत्नी श्री छीतर
2. श्री रामनिवास
3. श्री रामावतार
4. श्री हरिराम
5. श्री सीताराम

पुत्रगण श्री छीतर समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र श्री कजोड़ जाति बंजारा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. श्री छीतर

1/2. श्री चौथमल

पुत्रगण श्री लक्ष्मण जाति गवारिया निवासीगण ग्राम नेगड़िया तहसील देवली जिला टोंक।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री समीर अहमद खान वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 09.12.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.07.1963 को तहसीलदार सरवाड़ द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री कजोड़सिंह जाति बन्जारा निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम हिंगोनिया स्थित साविक खसरा नम्बर 726 हाल खसरा नम्बर 307/2 रकबा 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही आवंटी विवादित भूमि के आवंटन हेतु पात्रता रखते थे। आवंटी द्वारा प्रस्तुत नियमन/आवंटन प्रार्थना पत्र सत्यापित नहीं था। अतः बिना सत्यापन के आवंटन कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कथन किया कि आवंटी श्री लक्ष्मण नाम का व्यक्ति तहसील सरवाड़ में न तो कभी था न ही वर्तमान में है उक्त केवल कागजी व्यक्ति है, सरपंच ग्राम पंचायत कासीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम हिंगोनिया का निवासी नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 322 व 627 की भूमि का आंवटन किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु तहसीलदार सरवाड़ द्वारा गलत रूप से बिना किसी प्रार्थना पत्र के विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, बल्कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का ही अरसे दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण ही उन्हें राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में भी गैर खातेदारी ही दर्ज है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी जाति बंजारा अंकित की गई है जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है तथा कहीं गवारिया अंकित की गई है जो अनुसूचित जाति में है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कपटपूर्वक तथ्यों को छिपा कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। उन्होंने अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात् विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री लक्ष्मण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम हिंगोनिया में नहीं रहता है

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जबकि पटवारी हल्का सरवाड़ द्वारा मृतक श्री लक्ष्मण के वारिसान बाबत् प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि मृतक लक्ष्मण पुत्र कजोड़ जाति बंजारा निवासी ग्राम नेगड़िया हाल मुकाम पनवाड़ मोड़ का निवासी है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने आगे कथन किया कि उनके पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत वर्ष 1963 में किया गया है। उक्त आदेश को अब 1970 के नियमों के अन्तर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 वर्ष पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि नियमानुसार परिसीमा काल के न होने पर शक्ति का उपयोग युक्तियुक्त समय में करना चाहियें अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2016(1) पेज 718 पर माननीय उच्च न्यायालय (जयपुर बैंच) द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थीगण का यह कथन है कि विवादित भूमि पर उनका अरसे दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि विवादित भूमि पर आवंटन समय से आदिनांक तक आवंटी तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है जहां तक विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज करने का प्रश्न है उक्त कार्य राजस्व विभाग का है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिये थे। हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने पर अप्रार्थी द्वारा कलक्टर महोदय को शिकायत करने पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर गवारिया जाति होने के बावजूद बनजारा जाति अंकित कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है जो गलत है। अप्रार्थी की जाति गुवरिया बंजारा है जो जमाबन्दी संवत् 2048–51 के अवलोकन से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि बाबत् एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है जो प्रभावी है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रोर्थी ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार है तथा प्रार्थीगण उनकी जमीन हड़पना चाहते है इसलिए उनके द्वारा यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमों के अन्तर्गत पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो। अप्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी श्री लक्ष्मण के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं रहता है

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04.04.2014 के अवलोकन से श्री लक्ष्मण की मृत्यु पश्चात् उनके वारिस श्री छीतर व चौथमल होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका अरसे दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से सहमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र लगभग 50 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जबकि नियमानुसार परिसीमा काल के न होने पर शक्ति का उपयोग युक्तियुक्त समय में करना चाहिये। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1957 के नियमों के अन्तर्गत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है, उक्त आवंटन को अब इन नियमों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन है जिसके निर्णय पश्चात् स्वतः ही पक्षकारान के हकों का निर्धारण हो जावेगा। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.12.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner